

**34.5 सी.एन.जी. / एल.पी.जी./ डिस्पेंसर पंप का मूल मुद्रांकन कराने के संबंध में आवेदन
(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत)**

चरण-1	<p>आवेदन कब करें ?</p> <p>सी.एन.जी. / एल.पी.जी./ डिस्पेंसर पंप का मूल मुद्रांकन कराना हो ।</p>
चरण-2	<p>आवेदन कौन कर सकता है ?</p> <p>सी.एन.जी. / एल.पी.जी./ डिस्पेंसर पंप का मूल मुद्रांकन कराने वाले व्यक्ति ।</p>
चरण-3	<p>अ- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. खरीदी का बिल / कैशमेमो / ऑयल कंपनी का प्रदायगी आदेश या अन्य संबंधित दस्तावेज 2. मॉडल अप्रूवल (वैकल्पिक) 3. निर्माता अनुज्ञप्ति (वैकल्पिक)
चरण-4	<p>आवेदन के साथ शुल्क ?</p> <p>आवेदन के साथ मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची – आठ में निर्धारित शुल्क ।</p>
चरण-5	<p>शुल्क कैसे जमा करें ?</p> <p>आनलाईन आवेदन करते समय उपलब्ध लिंक से ।</p>
चरण-6	<p>आवेदन कैसे करें ?</p> <p>ऑन लाईन आवेदन हेतु लिंक ----- http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से</p>
चरण-7	<p>अनुमोदन की समय-सीमा ?</p> <p>ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में –</p> <p>सी.एन.जी. / एल.पी.जी./ डिस्पेंसर पंप का मूल मुद्रांकन - 15 कार्य दिवस के अंदर</p>
चरण-8	<p>सत्यापन प्रमाण-पत्र कैसे प्राप्त करेगा ?</p> <p>STEP-1 : http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें STEP-2 : इसके पश्चात पंजीकृत आवेदन खोजें पर Click करें STEP-3 : Show / File Movement के नीचे View पर Click करें STEP-4 : File के नीचे View पर Click करें STEP-5 : Correspondance के आखिरी नंबर को Click करें</p>

चरण-9	<p>अपीलीय अधिकारी:-</p> <p>संबंधित उप / सहायक नियंत्रक नाप-तौल</p> <p>अपील कब करें – आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा।</p>
चरण-10	<p>डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन:-</p> <p>STEP-1 : http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें</p> <p>STEP-2 : डिजीटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जांचे पर Click करें</p>

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म.प्र. भोपाल

सेवा क्रमांक :- 34.5

आवेदक द्वारा नाप-तौल उपकरणों के मूल मुद्रांकन सी.एन.जी / एल.पी.जी / डिस्पेंसर पंप हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) विभाग द्वारा परीक्षण एवं तदोपरांत की जाने वाली कार्यवाही का फ्लोचार्ट :-

